

ग्रामीण विधिविर-2025
कैम्प जूलग वि. 17/10/25

(रा.रा. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सिवाणा जिला बालोतरा
(राजस्थान)

विषय - राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती के सम्बन्ध में ।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम जूलग की जमाबन्दी संवत् 2022-23 के खाता संख्या 226 में मेरा/हमारे नाम माना पुत्र पुरखा दर्ज है जो अशुद्ध है, जिनके स्थान पर मेरा / हमारे शुद्ध नाम मानाराम पुत्र पुरखाराम है। अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें ।
दिनांक :-

हस्ताक्षर प्रार्थी/प्रार्थीगण
मानाराम

रिपोर्ट पटवारी / भू.अ. निरीक्षक

प्रार्थी के आधार कार्ड के अनुसार माना पुत्र पुरखा के स्थान पर मानाराम पुत्र पुरखाराम शुद्ध किया जाना उचित है।

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

प. सावरदा

रिपोर्ट पटवारी एवं भूअभिलेख निरीक्षक अनुसार उपवर्णित दुरुस्ती किया जाना उचित है।

तहसीलदार समदडी
तहसीलदार

CCMS 2025/639

आदेश

क्रमांक / ग.अ.वि. / 1716

दिनांक 12/10/25

रिपोर्ट तहसीलदार समदडी अनुसार ग्राम जूलग की जमाबन्दी संवत् 2022-23 के खाता संख्या 226 में माना पुत्र पुरखा के बजाय सम्मान सूचक इन्द्राज

मानाराम पुत्र पुरखाराम की जाती है तदनुसार तहसीलदार समदडी की कार्यवाही की जावे ।



करने की स्वीकृति प्रदान
उपखण्ड अधिकारी सिवाणा
सिवाणा, बालोतरा